(ख) जी, नहीं। देश में एक बड़े नेटवर्क के जरिये सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों (गेहूं, धान और मोटे अनाजों) की वसूली की जाती है। इस बारे में कड़े अनुदेश हैं कि निर्धारित गुणवत्ता के खाद्यान्नों की खरीदारी करने से इन्कार न किया जाए, यदि किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की पेशकश की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न हीं नहीं उठता।

Fixation of levy Suger Price

6797. SHRI DILIP SINGH JUDEV: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether Government have referred the demand made by Maharashtra Government to divide the state into three zones for the purpose of sugar levy price fixation to the bureau of industrial costs and prices;

(b) whether BICP has given their recommendations; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) The Bureau of Industrial Costs and Prices (BICP) had recommended that South Maharashtra may be subdivided into two zones—South Maharashtra (Kolhapur, Sangli and Satara districts) and Central Maharashtra (Pune, Nasik, Ahmednagar and Sholapur districts). These recommendations have been accepted and implemented by the Government.

Proposal to Export of Wheat

6798. SHRI O. P. KOHLI: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to export wheat;

(b) if so, the details thereof;

(c) to which country/countries the wheat is to be exported and at what rates and how do these rates compare with domestic rates;

(d) whether the wheat milling industry have resented to the export of wheat;

(e) if so, the reaction of Government thereto; and

(f) the reasons for exporting wheat at much below the domestic price ignoring the interest of domestic wheat milling industry?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI AJIT SINGH): (a) and (b) An export ceiling of 2.5 million tonnes for export of non-Durum wheat has been fixed for 1995-96. In view of the comfortable stock position of foodgrains in Central Pool, Government has also authorised the FCI to export/sell for the purpose of export of non-Durum wheat within the aforesaid export ceiling.

(c) The precise details will be available only after export order have been finalised.

(d) and (e) The Ministry of Food Processing Industry or the Ministry of Food has not received any such representation so far.

(f) Question does not arise in view of (c) above.

गन्ने के मूल्य निर्धारण संबंधी मानदंड

6799. **श्री चिमन भाई हरिभाई शुक्ल :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के क्या मानदंड हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने गन्ने के मूल्यों के निर्धारण हेतु कोई सम्मेलन आयोजित किया था ;

(ग) यदि हां, तो सम्मेलन में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है ;

(घ) गुजरात में गन्ने की खरीद के लिए कितने गन्ना क्रय केन्द्र स्थापित किए गए हैं ताकि किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य मिल सके ; और

(ङ) किसानों को धनराशि का शीघ्र भुगतान करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री अजीत सिंह) : (क) गन्ना (नियंत्रण) आदेश के खंड 3 के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार गन्ना उत्पादकों को चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। ऐसा करते समय, उक्त आदेश के खंड 3(1) में उल्लिखित निम्नलिखित तथ्यों की ओर उचित ध्यान दिया जाता है :—

(क) गन्ने की उत्पादन लागत ;

(ख) वैकल्पिक फसलों से उत्पादकों को लाभ और कृषि जिन्सों की सामान्य मूल्य प्रवृत्ति ;

(ग) उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी की उपलब्धता ;

(घ) गन्ने से उत्पादित चीनी जिस मूल्य पर चीनी उत्पादकों द्वारा बेची जाती है ; और

(ङ) गन्ने से चीनी की रिकवरी ।

(ख) और (ग) जी, हां। केन्द्रीय सरकार ने 5-2-94 को सभी चीनी उत्पादक राज्यों के चीनी मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था। उस सम्मेलन में, गन्ने के राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्यों के लिए मूल्य निर्धारण नीति की सिफारिश करने के लिए पांच राज्य सरकारों अर्थात् उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मंत्रियों की एक समिति गठित की थी। इस समिति ने 3-4-95 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति की सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। (नीचे देखिए)

इस समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए सभी चीनी उत्पादक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के चीनी मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 6 मई, 1995 को बुलाया गया था । यद्यपि, अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एक राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण बोर्ड की स्थापना करने का समर्थन किया था लेकिन इसके विचारार्थ विषयों के बारे में मतभेद था। सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से सुझावों/प्रस्तावों के ब्यौरे मांगे हैं ताकि इस बारे में अन्तिम राय बनाई जा सके।

(घ) और (ङ) गुजरात में सभी चीनी फैक्ट्रियां सहकारी क्षेत्र में हैं। वे अपनी क्षमता और आवश्यकता के अनुसार अपने सदस्यों को पौध देती हैं और पेराई के लिए गन्ना प्राप्त करती हैं। किसान सदस्य अपना गन्ना चीनी फैक्ट्रियों को सीधे बेचते हैं । गन्ने के अन्तिम मूल्य का निर्णय जहां आवश्यक हो वहां राज्य सरकार के परामर्श से चीनी फैक्ट्रियों द्वारा किया जाता है ।

किसानों को गन्ने के मूल्य की बकाया राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है जिनके पास ऐसे भुगतान करवाने के लिए आवश्यक शक्तियां और फील्ड संगठन होते हैं।

विवरण

गन्ने के संबंध में राज्य द्वारा सुझाए मूल्यों के लिए मूल्य नीति के बारे में सुझाव देने के लिए पांच राज्य सरकारों के मंत्रियों की गठित की गई समिति की सिफारिशें

(1) गन्ना नियंत्रण आदेश, 1966 में अपने वर्तमान रूप में उपलब्ध भारत फार्मूले को निरस्त कर दिया जाना चाहिए ।

(2) गन्ने के लिए राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए जिसका अध्यक्ष भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा और इस बोर्ड में महत्वपूर्ण गन्ना उत्पादक राज्यों और भारत सरकार के खाद्य, नागरिक पूर्ति तथा कृषि मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए ।

(3) बोर्ड को प्रत्येक वर्ष मौसम शुरू होने से पहले प्रत्येक राज्य से गन्ना उत्पादन की लागत के अनुमान मंगाने चाहिए और ये अनुमान उनके राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों अथवा ऐसे संस्थानों की सिफारिशों पर आधारित होने चाहिए जिन्हें राज्य सरकार इस काम के लिए उचित समझती है।

(4) राज्य सरकारों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड को गन्ने की उपज की लागत की संगणना करनी चाहिए जिसे लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य का हिसाब लगाने के लिए उपयोग करने हेतु गन्ने का सैद्धान्तिक मूल्य निर्धारित करने के लिए आधार बनाया जाना चाहिए।

(5) बोर्ड को उाज की राज्यवार लागत और प्रतिस्पर्धी फसलों से सम्भावित प्राप्ति, पिछले मौसम में वास्तव में भुगतान किया गया मूल्य, मूल्य प्रवृत्ति, पिछले मौसम के दौरान चीनी की बिक्री से प्राप्ति आदि को हिसाब में लेना चाहिए और तत्पश्चात् राज्यवार/जोनवार गन्ने के वास्तविकता से पूर्ण मूल्य निर्धारित करने चाहिए जो उस राज्य/जोन के गन्ना उत्पादकों को गन्ने की अपनी प्रथम किस्त की आपूर्ति करने के बाद देय होती है। यह मूल्य उस राज्य में 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी से जुड़ा होता है जिसमें ऐसी प्रक्रिया प्रचलित है जबकि जिन अन्य राज्यों में एकमुश्त मूल्य का भुगतान किया जाता है उन में मूल्य एकमुश्त आधार पर निर्धारित किए जा सकते हैं।

(6) दोहरी मूल्य प्रणाली जारी रखी जा सकती है जिससे उपभोक्ताओं को उचित मूल्म पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली चीनी की विशिष्ट मात्रा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(7) अन्त में, मौसम समाप्त होने पर बोर्ड को राज्यवार/जोनवार उस मौसम के के दौरान प्राप्त की गई औसत प्राप्तियों पर विचार करना चाहिए और प्रत्येक राज्य/जोन के लिए गन्ने का अन्तिम मूल्य निर्धारित करना चाहिए ताकि इसके अन्तर को उस राज्य/जोन में गन्ने के मूल्य की अतिरिक्त और अन्तिम किस्त के रूप में भुगतान किया जा सके।

समिति का यह भी मत था कि उपर्युक्त प्रावधानों को गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 में उपयुक्त संशोधन करके सांविधिक समर्थन दिया जा सकता है।

Report Submitted by High Level Committee on Price Policy

6300. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of FOOD be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a high level committee, set up by the Centre to recommend price policy for States, has submitted its report;

(b) if so, what are the salient features thereof; and

(c) what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF FOOD (SHRI JIT SINGH): (a) Yes, Sir. Pursuant to the decision taken in the Conference of State Sugar Ministers on 5.2.1994, a Committee of Ministers of Five States namely Uttar Pradesh, Punjab, Tamil Nadu, Maharashtra and Karnataka was constituted to recommend the pricing policy for State Advised Prices (SAP) of sugarcane. The Committee submitted its report on 3.4.1995.

(b) The recommendations of the aforesaid Committee of Ministers are enclosed as Statements. (*See* below)

(c) Another Conference of State Sugar Ministers was convened on 6th May, 1995 to consider the recommendations of the Committee. Though majority of the States/UTs supported the formation of a National Pricing Board, there was difference of opinion about its terms of reference. The Government has decided to seek detailed suggestions/proposals from the State Governmnts/Union Territories in this regard so that a final view can be taken.

Statement

Recommendations of the Committee of the Ministers of five State Governments constituted to make recommendations regarding pricing policy for State Advised Prices (SAP) on sugarcane.